

(A)

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग  
क्रमांक:प.25(3)/चिस्वा/2/2014/  
निदेशक,  
भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई,  
राजस्थान जयपुर ।

जयपुर, दिनांक

8-5-15

विषय:-02 नये ट्रक क्रय एवं बॉडी निर्माण की स्वीकृति बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख हैं कि भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राजस्थान जयपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट मद 2210-01-110-(02)-[01]-06 वाहन क्रय (आयोजना) के अन्तर्गत 02 नये ट्रक राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पालना करते हुये क्रय एवं बॉडी के निर्माण कार्य की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती हैं कि विभाग सर्वप्रथम पुराने दो ट्रको को सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार नकारा घोषित करने की कार्यवाही के उपरान्त ही नये ट्रक क्रय की कार्यवाही की जावेगी ।

उक्त बजट मद में प्रावधित राशि रुपये 40.00 लाख वित्त विभाग द्वारा IFMS में अपलोड करने की सहमति प्रदान कर दी गई हैं ।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 151500575, दिनांक 07.05.2015 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती हैं ।

भवदीया,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 2-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 3-प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज0जयपुर ।
- 4-शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट/आयोजना) विभाग ।
- 5-प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
- 6-एकल पत्रावली डी-1797 दिनांक 16.04.2015
- 7-रक्षित पत्रावली ।

सहायक लेखाधिकारी